

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण: प्रगति, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

डॉ सुमन गुप्ता

व्याख्याता समाज शास्त्र सेठ रतनलाल सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कालाडेरा जयपुर

सार:

महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक समानता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। प्राचीन भारत में, महिलाओं ने बहुआयामी भूमिकाएँ निभाई और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया, जैसा कि ऐतिहासिक ग्रंथों और पुरातात्विक खोजों से स्पष्ट है। हालाँकि, सामाजिक परिवर्तनों के कारण इन पदों का अंततः क्षरण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्त्री देवताओं की पूजा करते थे; उनकी विशेष रूप से "अम्मतल्ली" की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद उस युग के दौरान महिलाओं की भूमिका और योगदान की झलक प्रदान करता है; महिलाएँ धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में सक्रिय रूप से शामिल होती थीं। वे यज्ञों में भूमिका निभाती थीं और इन अनुष्ठानों के प्रति उनके समर्पण के लिए अक्सर उनकी प्रशंसा की जाती थी। सातवाहन वंश के राजा और लोग अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। उदाहरण के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलोमावी। समय के साथ, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। वर्तमान आधुनिक दुनिया में, कई देशों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कम है। भारत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है, लेकिन परिणाम बहुत कम हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और कानूनी सुधारों में प्रगति ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन सामाजिक मानदंड और गहरी जड़ें जमाएँ पूर्वाग्रह उनके सशक्तिकरण के पूर्ण साकार होने में बाधा बन रहे हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानूनी प्रगति के साथ लैंगिक समानता के संघर्ष ने गति पकड़ी है, जिससे महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

मुख्य शब्द: लैंगिक समानता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्थिक भागीदारी, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, हिंसा, सामाजिक सुधार,

परिचय

किसी भी समाज में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक मूलभूत शर्त है। भारतीय संदर्भ में, यह अवधारणा महिलाओं की स्थिति में सुधार से कहीं आगे जाती है - यह उन सामाजिक संरचनाओं, मानदंडों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन का प्रतीक है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्वायत्तता और भागीदारी को सीमित किया है। सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक परंपराओं में निहित, भारत में लैंगिक असमानता ने महिलाओं के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व शामिल है। इन दीर्घकालिक बाधाओं के बावजूद, भारत ने संवैधानिक गारंटी, विधायी सुधारों, नीतिगत हस्तक्षेपों और सामाजिक-आर्थिक विकास पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय संविधान समानता को सुनिश्चित करता है और

लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि विभिन्न कानूनों और सामाजिक कल्याण योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है। पिछले कुछ वर्षों में, देश में महिला साक्षरता, कार्यबल में भागीदारी, जमीनी और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी और स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में लगातार वृद्धि देखी गई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, स्टैंड-अप इंडिया और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कार्यक्रम लैंगिक समानता और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालाँकि, विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक समूहों और क्षेत्रों में सशक्तिकरण असमान बना हुआ है। लिंग आधारित हिंसा, वेतन में अंतर, डिजिटल और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच, सामाजिक रूढ़िवादिता और अंतर्विभागीय भेदभाव जैसी कई चुनौतियाँ महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती रहती हैं। गहराई से जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक ढाँचे अक्सर घरों और सार्वजनिक स्थानों, दोनों में महिलाओं की स्वतंत्रता, गतिशीलता और निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करते हैं। इसके अलावा, 21वीं सदी में तेज़ी से हो रहे तकनीकी और आर्थिक बदलावों ने महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन साथ ही कौशल, संसाधनों और सामाजिक समर्थन की कमी वाली महिलाओं के लिए असमानताएँ भी बढ़ा दी हैं। यह शोधपत्र भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के विकास की पड़ताल करता है, प्रमुख उपलब्धियों और लगातार आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करता है। यह लैंगिक समानता को मजबूत करने के लिए उभरते रुझानों, सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतिक रास्तों पर भी प्रकाश डालता है। इसका लक्ष्य भारत के लोकतांत्रिक विकास और मानव विकास के लिए आवश्यक एक गतिशील, बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में महिला सशक्तिकरण की व्यापक समझ प्रदान करना है। सच्चे सशक्तिकरण के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है जो महिलाओं के समान अधिकारों, सम्मान और अवसरों को बढ़ावा दे, जिससे वे जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व, योगदान और उन्नति कर सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

1. प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की उच्च स्थिति और लैंगिक समानता पर चर्चा करना।
2. समय के साथ सामाजिक बुराइयों के कारण महिलाओं की स्थिति में आई गिरावट को सुधारने के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित कानूनों का विश्लेषण करना।
3. ब्रिटिश प्रशासन के तहत महिलाओं की उन्नति के लिए भारतीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान का वर्णन करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कुछ प्राचीन सभ्यताओं में, महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त थे, जैसे पुजारिन, वैद्य और शासक। हालाँकि, पुरुषों की तुलना में उनके अधिकार अक्सर सीमित थे। उदाहरणों में हत्थोपसुत और क्लियोपेट्रा जैसी प्राचीन मिस्र की रानियाँ शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक फली-फूली। इस प्राचीन सभ्यता में, पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएँ कृषि, व्यापार और शिल्पकला जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थीं। संभवतः वे मिट्टी के बर्तन बनाने, बुनाई और मनके बनाने में शामिल थीं। इससे संकेत मिलता है कि महिलाओं की अपने समाज की आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई।

महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार के कानून

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की कार्यवाइयाँ मुख्यतः उनके औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थीं, और हालाँकि कुछ पहलों के अनपेक्षित परिणाम हुए जिन्हें महिला सशक्तिकरण के कुछ पहलुओं में योगदान के रूप में देखा जा सकता है, इन कार्यवाइयों को औपनिवेशिक शासन के व्यापक संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम दिए गए हैं जिनका भारतीय महिलाओं पर प्रभाव पड़ा।

सती विनियमन अधिनियम (1829): बंगाल सती विनियमन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, यह सामाजिक प्रथाओं में शुरूआती ब्रिटिश हस्तक्षेपों में से एक था। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लें। इस अधिनियम ने विधवा को सती होने के लिए मजबूर करने या विवश करने के कृत्य को एक आपराधिक कृत्य बना दिया।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856): विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे 1856 का अधिनियम XV भी कहा जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था। इसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी, और विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। इस अधिनियम का उद्देश्य विधवा महिलाओं को नया जीवन शुरू करने का अवसर देकर उनकी स्थिति में सुधार लाना था।

सहमति आयु अधिनियम (1891): इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की विवाह के लिए कानूनी सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने और कम उम्र में होने वाली शादियों से लड़कियों की रक्षा के लिए लाया गया था, जिनके स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते थे।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1929): इसे सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम ने विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी। इसका उद्देश्य बाल विवाह की प्रथा को रोकना था, जिसका कम उम्र की लड़कियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता था।

भारतीय महिला समाज सुधारकों का योगदान

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला जो देश में हो रहे व्यापक सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के एक हिस्से के रूप में उभरा। इस आंदोलन की विशेषता महिलाओं की स्थिति और अधिकारों में सुधार, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना और पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देना था।

पंडिता रमाबाई: उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे जिनमें शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला गया। "उच्च जाति की हिंदू महिला" यह पुस्तक हिंदू समाज में, विशेष रूप से उच्च जातियों की महिलाओं के साथ व्यवहार की एक आलोचनात्मक परीक्षा है। यह पुस्तक महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को उजागर करती है और उन सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता पर तर्क देती है जो उन्हें प्रताड़ित करती हैं। "प्राचीन भारत में देवदासी प्रथा" यह कृति देवदासी प्रथा पर गहराई से चर्चा करती है, एक ऐसी प्रथा जिसमें युवा लड़कियों को नर्तकियों और सेविकाओं के रूप में मंदिरों में समर्पित किया जाता था। रमाबाई इस प्रथा की आलोचना करती हैं और महिलाओं के जीवन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करती हैं, और इसके उन्मूलन की

वकालत करती हैं। उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना था।

सावित्रीबाई फुले: वे एक प्रमुख समाज सुधारक और शिक्षिका थीं जिन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। उन्होंने और उनके पति ज्योतिराव फुले ने लड़कियों और विधवाओं के लिए स्कूलों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति निरक्षरता और भेदभाव का मुकाबला करना था।

दुर्गाबाई देशमुख: उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए व्यापक रूप से काम किया। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद जैसे संगठनों की स्थापना में योगदान दिया।

रुखमाबाई: वे एक अग्रणी चिकित्सक और बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रमुख हस्ती थीं। अपने विवाह को रद्द करने के लिए उनका कानूनी मुकदमा महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर चर्चाओं में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। इन नेताओं और कई अन्य लोगों ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए चल रहे आंदोलन में योगदान दिया। उनके प्रयासों ने सामाजिक दृष्टिकोण और मानदंडों में बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को अधिक मान्यता मिली।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के उपाय

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख विकास और पहल इस प्रकार हैं:

सामाजिक सशक्तिकरण

भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। पिछले 75 वर्षों में भारत में सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख केंद्र महिलाओं के अधिकार रहे हैं। देश ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएँ भी लागू की हैं।

कानूनी सुधार: भारतीय संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दहेज निषेध अधिनियम दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाता है, एक ऐसी प्रथा जिसके कारण अक्सर महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था। इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज की माँग को पूरा होने से रोकना है और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम महिला कर्मचारियों को प्रसव से पहले और बाद में एक निश्चित अवधि के लिए सवेतन अवकाश जैसे मातृत्व लाभ प्रदान करता है। इसका उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और कामकाजी महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, (1976) लिंग के आधार पर पारिश्रमिक में भेदभाव को रोकता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को

कानूनी सुरक्षा और उपचार प्रदान करता है। यह महिलाओं को सुरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत और निवास आदेश लेने की अनुमति देता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और संबोधित करने के लिए तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता रखता है हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि ये कानून मौजूद हैं, फिर भी इनके कार्यान्वयन, जागरूकता और सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिनका महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के लिए समाधान किया जाना आवश्यक है।

शिक्षा: महिलाओं द्वारा प्राप्त शिक्षा का स्तर, जिसमें नामांकन दर, साक्षरता दर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच शामिल है। भारत में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। देश ने साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा तक पहुँच में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्कूलों और कॉलेजों में महिला नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का उद्देश्य शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना था, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की लड़कियों के लिए। लड़कियों की शिक्षा को लक्षित करने वाले विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे महिला समाख्या कार्यक्रम (1989) जिसने शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। सर्व शिक्षा अभियान (2000) का उद्देश्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, 86वाँ संशोधन अधिनियम सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को बुनियादी शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। उपरोक्त सुधारों के कारण, पिछले 75 वर्षों में भारतीय महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो स्वतंत्रता के समय 9% से बढ़कर आज 77% से अधिक हो गई है।

स्वास्थ्य सेवा: भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के उद्देश्य से कई स्वास्थ्य पहल और कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है, जिनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और लिंग आधारित हिंसा शामिल हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत, इस कार्यक्रम ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पूर्वस्कूली शिक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य महिलाओं सहित ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इसमें जननी सुरक्षा योजना (JSY) जैसे घटक शामिल थे, जो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती थी। पिछले 75 वर्षों में, भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो 1947 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 2000 से घटकर 2016 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 103 हो गई है।

सामाजिक जागरूकता: विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और महिला अधिकार संगठनों ने लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और हिंसा या भेदभाव, बाल विवाह और दहेज का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना है।

आर्थिक सशक्तिकरण

आर्थिक सशक्तिकरण में आर्थिक संसाधनों, आय, रोजगार के अवसरों और उद्यमिता तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण शामिल है।

रोजगार के अवसर: भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में, मुख्यतः सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों में, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण और प्रशासनिक पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।

सशक्तिकरण योजनाएँ: सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत में सरकार समर्थित बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियान के तहत माता-पिता को अपनी बेटियों की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने और उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह SHG समुदाय आधारित संगठन हैं जो सामूहिक रूप से उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। ये समूह महिलाओं को एक साथ आने, अपने संसाधनों को एकत्र करने और विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण

राजनीतिक भागीदारी: राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जैसे कि सरकार, संसद और निर्णय लेने वाली संस्थाएँ। भारतीय राजनीति में महिलाओं ने प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होना भी शामिल है। महिला आरक्षण विधेयक, जिसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है, प्रस्तावित किया गया है लेकिन अभी तक अधिनियमित नहीं हुआ है। लेकिन स्थानीय स्तर पर 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों को स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएँ शामिल हैं। संशोधनों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना था। 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की। इसने नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया, जिसमें मेयर के पद भी शामिल हैं। ये संवैधानिक संशोधन भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थे। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि स्थानीय शासन प्रणाली बनाना था कि महिलाओं को जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और विकास पहलों में आवाज़ मिले। आरक्षण के परिणामस्वरूप इन स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और समग्र सामुदायिक विकास जैसे मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये संशोधन कई अन्य देशों में भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक मॉडल रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में नियमों में संशोधन करके पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।

इन प्रयासों के बावजूद, लिंग आधारित हिंसा, संसाधनों तक असमान पहुँच और गहराई से जड़ जमाए सांस्कृतिक मानदंडों सहित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। प्रगति हुई है, लेकिन भारत में महिलाओं के सतत सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कानूनी सुधारों पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।

एनसीडब्ल्यू: राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एनसीडब्ल्यू का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना और पुरुषों के साथ समान आधार पर जीवन के सभी पहलुओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयोग महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने, लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को दूर करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ और कानून मौजूद हों।

2014 के बाद मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपना रही है

“भारत के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखने के दिन अब बीत चुके हैं, अब हमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। भारत ने आज़ादी के बाद से महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस कदम से 1990 से मानव विकास सूचकांक (HDI) और 2007 से लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से यह वृद्धि तेज़ हुई है। इसका कारण यह है कि सरकारी नीतियाँ, कानून और उपाय महिलाओं के विकास के लिए एकीकृत हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से निर्मित 70% से अधिक घरों का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर दिया गया है। PMAY के तहत 2014 से अब तक 1.72 करोड़ घर महिलाओं के स्वामित्व में हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: पिछले 9 वर्षों में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं। इसके माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीर श्वसन रोगों से बचाया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले 3 वर्षों में 75 लाख अतिरिक्त मुफ्त गैस कनेक्शन देने की अनुमति दी है।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम: भारत सरकार ने वर्ष 2015 में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश पेश किए। मासिक धर्म स्वच्छता योजना (2011) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (2014 में), 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत 27 करोड़ सैनिटरी पैड हर साल वितरित किए जाते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन: भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण ने कई तरह से महिलाओं की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गरिमा और सम्मान: शौचालयों की उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को खुले में शौच न करना पड़े, जो एक शर्मनाक और अशोभनीय प्रथा हो सकती है। शौचालयों तक पहुँच महिलाओं को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए सशक्त बनाती है।

सुरक्षा और गोपनीयता: स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हमले के प्रति संवेदनशीलता को कम किया है। यह उन्हें अपनी स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर रात के समय, एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है।

शिक्षा: स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय उपलब्ध होने पर लड़कियों के नियमित रूप से स्कूल जाने की संभावना बढ़ जाती है। स्कूल में बेहतर उपस्थिति उनकी शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं में योगदान करती है।

कार्यबल में भागीदारी: शौचालयों तक पहुँच महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने में सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे अपनी स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकती हैं। इससे, बदले में, अधिक आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है।

सामाजिक सशक्तिकरण: महिलाओं की स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करके, स्वच्छ भारत मिशन उनके सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान दिया है। यह उनके अधिकारों और ज़रूरतों की पहचान और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रतीक है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता: उचित स्वच्छता सुविधाएँ महिलाओं को बेहतर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती हैं। इससे मूत्र मार्ग में संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है और उनकी समग्र भलाई को बढ़ावा मिलता है।

सामुदायिक कल्याण: बेहतर स्वच्छता का समुदायों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खुले में शौच कम होने से पर्यावरण स्वच्छ होता है, जिसका लाभ महिलाओं सहित सभी को मिलता है। संक्षेप में, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण ने महिलाओं की गरिमा पर गहरा प्रभाव डाला है क्योंकि इससे उन्हें अपनी स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित, निजी और स्वच्छ स्थान मिला है। इस पहल ने न केवल महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि लैंगिक समानता और सामुदायिक कल्याण में भी योगदान दिया है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: 2015 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता, शिक्षा और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से लैंगिक असंतुलन को दूर करना और बालिकाओं के मूल्य को बढ़ावा देना है। यह लड़कियों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए): 2016 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017): इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के पहले छह महीनों के दौरान उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह मातृ एवं शिशु कुपोषण को कम करने में मदद करता है।

वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र): ये केंद्र लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं। ये चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।

कौशल विकास: स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2015) जैसे कार्यक्रम प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके महिलाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

मातृत्व अवकाश नीति: मातृत्व लाभ अधिनियम में अगस्त 2016 में संशोधन करके मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। यह परिवर्तन कार्यस्थल पर गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को समर्थन देने के महत्व को पहचानने की दिशा में एक सकारात्मक कदम को दर्शाता है।

ट्रिपल तलाक़: "ट्रिपल तलाक़" एक ऐसी प्रथा को संदर्भित करता है जो मुस्लिम समुदायों में प्रचलित थी, जहाँ एक पति अपनी पत्नी को लगातार तीन बार "तलाक़" (तलाक) शब्द का उच्चारण करके एकतरफा तलाक़ दे सकता था, या तो मौखिक रूप से, लिखित रूप में, या यहां तक कि टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से भी। इस प्रथा ने पतियों को बिना किसी कानूनी सहारा या अदालती कार्यवाही की आवश्यकता के अपनी पत्नियों को तुरंत और अपरिवर्तनीय रूप से तलाक़ देने की अनुमति दी। अगस्त 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में, ट्रिपल तलाक़ की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, यह कहते हुए कि यह भारतीय संविधान में निहित लैंगिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, भारत सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 प्रस्तुत किया, जिसने एक बार में तीन तलाक़ देने की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार, तीन तलाक़ देना कारावास सहित दंडनीय अपराध है। तीन तलाक़ पर प्रतिबंध मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सही कदम है।

128वाँ संविधान संशोधन विधेयक: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के नाम से 19-09-2023 को लोकसभा में 33% महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। लोकसभा के 454 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 2 सदस्यों ने इसके विरुद्ध मतदान किया।

निष्कर्ष

भारत सरकार और कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज समूहों ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अथक प्रयास किया है। प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को अभी भी लैंगिक हिंसा, संसाधनों तक असमान पहुँच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीमित भागीदारी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस्कृतिक मानदंड, गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक असमानताएँ अभी भी बाधाएँ बनी हुई हैं। भारत में महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के कार्यान्वयन से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

ग्रंथ सूची

1. बरनाली सरकार, 27 जून 2014, जानलेवा अनुष्ठान बनाम भक्ति रिवाज: अमिताव घोष की सी ऑफ पॉपीज़ में सती प्रथा और महिलाओं की व्यक्तिपरकता की बयानबाजी और अनुष्ठान, 2014,3(3), 283-298
<https://doi.org/10.3390/h3030283>
2. नितिन नाग, 7 अगस्त, 2015, भारत ने पिछले 75 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में खुद को बदलने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में एक लंबा सफर तय किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया।
3. डॉ. राज कुमार यादव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2 मार्च, 2012, भारत में शिक्षा का अधिकार: एक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नेटवर्क।
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2014933
4. पीएमइंडिया वेब पोर्टल, अप्रैल-अक्टूबर, 2015, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: बालिकाओं की देखभाल।
https://www.pmindia.gov.in/en/government_tr_rec/beti-bachao-beti-padhao-caring-for-the-girl-child/
5. एजेंसियों द्वारा लिखित, हैदराबाद, 8 अप्रैल, 2011, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण, द इंडियन एक्सप्रेस।
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, 06 दिसंबर 2012, पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1595251>
7. ऋतु मारिया जॉनी, 15-03-2013, आजादी के बाद से भारत में महिला साक्षरता दर 68% बढ़ी, हिंदुस्तान टाइम्स। <https://www.hindustantimes.com/india-news/female-literacy-rate-in-india-up-68-sinceindependent-report-101678873446301.html>
8. राष्ट्रीय महिला आयोग वेब पोर्टल, मिशन और विजन - महिला, एनसीडब्ल्यू।
9. संतु बिस्वास और दिव्येंद्रु भट्टाचार्य, अक्टूबर 2010, भारतीय महिला शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की भूमिका, रिसर्चगेट।
https://www.researchgate.net/publication/364330033_Role_of_Savitribai_Jyotirao_Phule_in_the_Perspective_of_Indian_Women_Education
10. मनीषा मरांडी, 15 जुलाई 2009, भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन: संवैधानिक दृष्टिकोण से लैंगिक वेतन समानता का विश्लेषण, इन्फ्लिबनेट सेंटर।
11. सूर्याश कुमार, 4 अप्रैल, 2013, भारत में मातृत्व अवकाश 2023 - इसके बारे में सब कुछ जानें, सोशल लॉज़ टुडे <https://sociallawstoday.com/maternity-leave-in-india-know-all-about-it/>
12. डॉ. युथिका मिश्रा, अंक 2 सितंबर 2013, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष: 1929 का सारदा अधिनियम (अधिनियम XIX), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT), खंड 1, अंक 2 सितंबर 2013।
13. सिद्धि पाठक, 14 दिसंबर, 2017, पंडिता रमाबाई की द हाई कास्ट हिंदू वुमन का पुनर्पाठ, भारत में नारीवाद। <https://feminisminindia.com/2017/12/14/pandita-ramabai-high-caste-hinduwoman/>
14. सिल्विया वटुक, (2016), भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ में न्यायेतर तलाक, इस्लामिक लॉ एंड सोसाइटी, खंड 26, संख्या 1/2 (2016), पृष्ठ 111-148 (38 पृष्ठ), जेएसटीओआर।
<https://www.jstor.org/stable/26571317>
15. राज नेहरू, 5 मई 2010, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): प्रभावशीलता और सुधार के अवसर, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नेटवर्क।
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4076810

16. शिशिर सिन्हा, 20 सितंबर, 2016, लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, बिजनेस लाइन।
<https://www.thehindubusinessline.com/news/lok-sabha-passes-womens-reservationbill/article67327130.ece>